# पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 305/2024

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.09.20243

**हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 30.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

### 01. थाना कोतवाली: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार ।

**पूर्व की घटना-**

अवगत कराना है कि वादी दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्यामधारी निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र जिसमें वादी का लड़का सूरज कुमार उम्र 24 वर्ष दि. 11.11.23 को 7.30 बजे बलरामपुर शराब ठेके के पास अपने दोस्त आमीर पुत्र कासिम ग्राम मनचोभा व एक अन्य व्यक्ति के साथ मौजूद थे। पिता दिनेश कुमार जब घर चलने के लिए बोले तो सूरज कुमार बताया कि मैं आमीर के साथ घर आ जाऊंगा। कुछ देर बाद दिनेश के फोन करने पर सूरज कुमार ने अपने पिता को बताया कि मुझे आमीर व उनके दोस्त किशुनदासपुर ले जा रहे है और फोन कट गया। दिनांक 13.11.23 को तमसा नदी ग्राम ककरहटा में लाश मिलने पर वादी दिनेश कुमार द्वारा शिनाख्त करने के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.11.23 को मु0अ0सं0 650/23 धारा 302,201 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ था।

दिनांक- 22.09.2024 को जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के तहत थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 527/24 धार3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम 05 नफर पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण–**

दिनांक- 29.09.2024 को प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. शेख कासिम पुत्र चुन्ने उर्फ तौहिद , 2. अनम बानो पुत्री शेख कासिम, 3. नुराना बानो पत्नी शेख कासिम उम्र 47 वर्ष निवासीगण मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ को समय करीब 18.32 बजे ग्राम मनचोभा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

**आपराधिक इतिहास-**

1.मु0अ0सं0 650/23 धारा 302,201 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 527/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. शेख कासिम पुत्र चुन्ने उर्फ तौहिद निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 54 वर्ष

2.नुराना बानो पत्नी शेख कासिम उर्फ चुन्ने निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 47 वर्ष

3.अनम बानो पुत्री शेख कासिम उर्फ चुन्ने निवासी मनचोभा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली टीम-** प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय, कां0 सतेन्द्र प्रजापति, कां0 अखिलेश कुशवाहा, म0कां0 रेशमा सरोज थाना कोतवाली आजमगढ़

## 02.थाना-कोतवालीः किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

**पूर्व की घटना–**

अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा थाना कोतवाली, आजनगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि मेरी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष है जो कक्षा-9 की छात्रा है. जिसे स्कूल जाते समय रास्ते में विपक्षी नफत पुत्र अख्तर जो ब्लाक-26, काशीराम डीएवी में रहता है, उसे सुनसान रास्ता देखकर छेड़खानी की गयी और अश्लील वीडियो दिखाने का प्रयास किया गया है दिनांक 23.09.2024 को जब उसने बच्ची के साथ छेड़खानी की तो स्कूल से आने के बाद पीड़िता ने बताया जब आरोपी नफत से पूछने गई तो वह गन्दी गन्दी गाली देने लगा। इसका प्रार्थना पत्र थाने पर दिया। पुलिस नफत को गिरफ्तार कर ले गई जब मैं वापस थाने से आई तो नफत का बड़ा भाई बडकु, इसरार उसकी माँ ने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे वादिनी को काफी चोटे आयी है, जबसे नफत थाने से छूट कर आया है लगातार पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है, उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 544/24 धारा 115(2),352,351(2),75 BNS और 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली पर दिनांक 27.9.24 को पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण–**

दिनांक- 30.9.24 को उ0नि0 मेहरे आलम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नफत उर्फ रहमत अली पुत्र मो0 अख्तर निवासी काशीराम आवास डीएवी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को काशीराम आवास तिराहे से दिनांक समय 10.10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## 03. थाना- कोतवाली: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना–**

अवगत कराना है कि दिनांक- 12.09.2024 को वादिनी मुकदमा, थाना कोपागंज, जनपद मऊ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी इन्द्रेश निषाद उर्फ युवराज पुत्र रामानन्द निषाद निवासी रामपुर डिगिया थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष द्वारा वादिनी/पीड़िता को 05 वर्ष पहले से शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया था तथा विपक्षी इन्द्रेश उपरोक्त द्वारा वादिनी की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैक मेल करते हुए वीडिया वायरल की धमकी दी गयी, जिसकी शिकायत इसके माता-पिता से की गयी तो, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 504/24 धारा 376डी,504,506 भादवि व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण–**

आज दिनांक- 30.09.2024 को व0उ0नि0 रामकृपाल सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त इन्द्रेश निषाद उर्फ युवराज पुत्र रामानन्द निषाद निवासी रामपुर डिगिया पगरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को जेल तिराहा से समय 12.48 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**04. थाना- मेंहनगरः जेवरात की छिनैती करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार; 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में; छिनैती के जेवरात, चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध असलहा व कारतूस बरामद।**

**पूर्व की घटना-**

अवगत कराना है कि दिनांक 17.09.2024 को वादिनी श्रीमती कविता पुत्री किशोरी राम ग्रा0 बलेलपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 16.09.24 को समय करीब 4.00 बजे शाम को प्रार्थिनी मेंहनगर बाजार से एक मंगलसूत्र सोने का व पायल चांदी का और बच्चों का चांदी का चुड़िला व कुछ रुपये नगद ले जा रही थी अहियाई बाजार तिराहा पर टैम्पू से उतरी घर जाने के लिये जा रही थी तब तक 3 आदमी बाइक सवार तुरन्त प्रार्थिनी की बैग छीन कर आजमगढ़ के तरफ रोड से भाग गये और उस बैग में प्रार्थिनी की अधार कार्ड व मोबाइल भी था, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 375/2024 धारा 304(2) बीएनएस थाना मेंहनगर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 30.09.2024 को प्र0 नि0 अनुराग कुमार मय हमराह निरीक्षक जयप्रकाश यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्तो से सम्बन्धित अभियुक्त 1.आशीष पुत्र सच्चेलाल निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ 2.अंकुर पुत्र धरमू राम निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ 3.रितेश कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को समय 06.20 बजे डीहा मगही नदी पुल पर से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तों के कब्ज से छिनैती के 1 चोरी की मोटर साइकिल, एक लूट की मोबाइल, एक लॉकेट पुराना पीली धातु, 1 जोड़ी पायल सफेद धातु, 4 बच्चो की चुड़ी सफेद धातु, बिछुआ 2 जोड़ी पुराना सफेद धातु, 2 अंगूठी सफेद धातु पुरानी व , 1 तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर ,2 मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं 392/24 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

**पंजीकृत अभियोग –**

1.मु0अ0स0 375/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 392/24 धारा 317(2) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

1.आशीष पुत्र सच्चेलाल निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ

2.अंकुर पुत्र धरमू राम निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ

3.रितेश कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़

**बरामदगी का विवरणः-**

1- 01 चोरी की मोटर साइकिल, एक लूट की मोबाइल, एक लॉकेट पुराना पीली धातु, 1 जोड़ी पायल सफेद धातु,

2- 04 बच्चो की चुड़ी सफेद धातु, बिछुआ 2 जोड़ी पुराना सफेद धातु, 2 अंगूठी सफेद धातु पुरानी व ,

3- 01 तमंचा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर , 02 मोबाइल

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**

1- प्र0 नि0 अनुराग कुमार मय हमराह निरीक्षक जयप्रकाश यादव व म0 उ0 नि0 रानी साहू व का0 अतुल कुमार शुक्ला व का0 अजय कुमार राय व का0 गिरजेस कुमार थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

**05.थाना सिधारी: मोबाइल छिनैती करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, 01 मोबाइल, 01 चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।**

पूर्व की घटना-

दिनांक 29.09.2024 को वादिनी मुकदमा दिव्या यादव पुत्री स्व0 जितेन्द्र यादव सा0 सिविल लाइन बागेश्वर नगर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर लिखित तहरीर दी कि मोटरसाइकिल सवार (वाहन संख्या UP50CC2603) अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछे से आकर वादिनी का मोबाईल छीन कर धक्का मार दिया गया, जिससे वादिनी का घायल हो गयी, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 374/24 धारा – 304(2)/115(2) बीएनएस बनाम वाहन संख्या UP50CC2603 मो0सा0 से एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी चौकी इटौरा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा किया जा रहा है |

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 29.09.2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त संजय कुमार पुत्र राजकुमार निवासी0 ग्राम बिहरोजपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को समय 20.30 बजे खेमऊपुर मार्ग बह्दग्राम इटौरा से गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 आईटेन एड्रायड मोबाईल , एक मोबाईल चाकू बरामद हुआ। पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा गाड़ी का नम्बर नं0 UP50CC2603 से देवराज कम्प्यूटर के दुकान इटौरा के सामने एक लड़की स्कूटी से आजमगढ़ की तरफ से जहानागंज की तरफ जा रही थी उसी के पास से मै यह मोबाइल झपट्टा मारकर छिन लेना स्वीकर किया गया | जिसके संबंध मे स्थानीय थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 374/24 धारा 304(2) 115(2) बीएनएस पंजीकृत है। बरामद अवैध चाकू के सम्बन्ध मे व मु0अ0सं0 375/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग अभियुक्त संजय उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया।

**आपराधिक इतिहास**

मु0अ0सं0 374/2024 धारा 304(2) 115(2) BNS थाना सिधारी आजमगढ़ |

मु0अ0सं0 375/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़ |

**06.थाना बिलरियागंज: सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर अवैध असलहा के साथ अपनी फोटो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 29.09.2024 को उ0नि0 उमाशंकर तिवारी मय हमराह को सूचना मिली कि सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर अवैध तमंचे के साथ एक व्यक्ति की फोटो वायरल हो रही है, वायरल फोटो की जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि उक्त अवैध तमंचे के साथ किशन सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी फोटो वायरल किया गया था। अवैध असलहे से किशन सरोज उपरोक्त द्वारा लोगो को दिखाकर धमकाया जाता है उपरोक्त का यह कृत्य धारा 125, 351(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 340/24 धारा 125, 351(2) बीएनएस बनाम किशन सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक- 30.09.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह व उ0नि0 उमाशंकर तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त किशन सरोज पुत्र चन्द्रिका सरोज निवासी तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अवैध 01 तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार परमुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 शस्त्र अधि0 की बढ़ोत्तरी की गयी है। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

**थाना बरदह: हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना**

➡ दिनांक- 19.12.2022 को वादी मुकदमा अजय कुमार राजभर पुत्र रामदुलार राजभर नि0 बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी अशोक उर्फ टेल्हू राजभरर पुत्र रामदेव नि0 बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा वादी की मां को ईट से गम्भीर चोट पहुँचायी गयी, जिससे वादी की मां की मृत्यु हो गयी थी।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0- 404/2022 धारा 302/307/323 भादवि0 पंजीकृत किया गया ।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 30.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अशोक उर्फ टेल्हू राजभरर पुत्र रामदेव नि0 बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।